

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 299 / 22

तारीख दायर 10/12/2022

मन्नालाल पुत्र ईशर जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. खाना पिता नन्दा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जौलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
2. छीतर पिता रूपा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
3. रामलाल पिता रूपा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
4. अमर चन्द पिता रूपा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
5. घनराज पिता देराम जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
6. भगवानलाल पिता खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
7. कंचन पति मुकेश जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
8. सुगना पति अशोक जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :—

दिनांक

प्रार्थना पत्र देवराजसिंह ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम नीमडीगवां प0ह0 चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 73 पर अंकित आराजी संख्या 240 रकबा 0.9470हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद

शपथपत्र संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि - भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किरसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढ़ी कमिश्नर फीस 500 /- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम नीमडीगवां प0ह0 चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 73 पर अंकित आराजी संख्या 240 रकबा 0.9470हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
उपरवाबिजौलियां
बिजौलियाँ जि-भोलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 299/22
प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ

तारीख दायर 16/12/22

विषय :- प्रकरण संख्या 299/22 पत्थरगढ़ी बाबत।

मन्नालाल पुत्र ईशर जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0प्रार्थी

बनाम्

1. खाना पिता नन्दा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जौलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
2. छीतर पिता रूपा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
3. रामलाल पिता रूपा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
4. अमर चन्द पिता रूपा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
5. घनराज पिता देशम जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
6. भगवानलाल पिता खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
7. कंचन पति मुकेश जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
8. सुगना पति अशोक जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम नीमडीगवां प0ह0 चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 73 पर अंकित आराजी संख्या 240 रकबा 0.9470 हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढ़ी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा